क्रमांक 3575-4 जी० एस०-I-75/24237

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 9 अगस्त, 1975,

विषय :— अनिवार्य सेवा निवृति की आयु—सरकारी कर्मचारियों को 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने की क्रियाविधि में परिवर्तन ।

महोदय,

मुझे आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1287—4 जी0एस0—I—73/7365, दिनांक 22 मार्च, 1973 तथा 4884—4 जी0एस0—I—74/22627, दिनांक 24 सितम्बर, 1974 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने इस मामले पर आगे विचार किया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी —II के ऐसे अधिकारियों जिन की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार नहीं है अर्थात सरकार से नीचे के प्राधिकारी हैं, को 50/55 वर्ष तथा श्रेणी—III के कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने के बारे में निर्णय उन के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं लिया जायेगा। उन्हें इस सम्बन्ध में अपने से ऊपर के स्तर के प्राधिकारी की मन्त्रणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले जो रिकार्ड के आधार पर तो सेवा में रखने योग्य हों पर उन की ईमानदारी कभी सन्देहजनक रही हो, अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस सम्बन्ध में संघटित अधिकारी—समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे । अधिकारी-समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले वे सभी प्रलेख जिन का वर्णन हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5846—4 जी0 एस0 —I—74/27622, दिनांक 22 नवम्बर, 1974 के पैरा 3 के अन्त में दिया गया था, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग को भेजे जायेंगे तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा वे प्रलेख मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (सामान्य सेवाएं शाखा—I) को अधिकारी-समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिये अग्रेणित किये जायेंगे । अधिकारी —समिति की सिफारिश सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जायेगी ।

2. श्रेणी—I तथा श्रेणी—II के ऐसे अधिकारियों जिन की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार है, के केस उसी प्रकार निपटायेंगे जायेंगे जिस प्रकार वे इस समय निपटाये जा रहे हैं।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों की पालना किये जाने के लिए इन्हें अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाये।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ता/—
उप सचिव, [राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 3575—4 जी0 एस0 —I—75/24238 दिनांक 9 अगस्त, 1975

एक प्रति महालेखाकार हरियाणा वित्तायुक्त, हरियाणा, तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भजी जाती है ।